न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–I, हिलसा (नालन्दा)

जमानत आवेदन सं–242/2026

अजीत कुमार बनाम बिहार राज्य

26.05.2026 कारावीन आवेदक/अभियुक्त **अजीत कुमार पे0 हरेन्द्र बिंद,** जो चण्डी थाना काण्ड सं–735/2025 (अन्तर्गत धारा–103(1),238,3(5) बी0एन0एस0) में दिनांक 20.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई के कम में निवेदन किया गया है कि आवेदक का अग्रिम जमानत पूर्व में ए0बी0पी0 नं–65/2026 अस्वीकृत किया गया था, जिसके विरूद्ध उन्होंने आगे कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं, जिन्हें गलत अभियोग के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मुख्य अभियुक्त रंजीत कुमार न्यायिक हिरासत में है। प्राथमिकी में कथित घटना के संबंध में कोई उद्देश्य नहीं बताया गया है। अब इस मामले में समझौता हो गया है और पक्षकार समझौते के आधार पर मामले का निपटारा करने के लिए तैयार है। घटना संदेहाष्पद है और घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इन तर्को के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–103(1),238,3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है एवं इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप है कि दिनांक 21.11.2025 को आवेदक अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका शोभा देवी के पति शिव कुमार बिंद की हत्या कर उसकी लाश को रेलवे पटरी पर डाल दिये थे। यह आरोप काफी गंभीर है एवं वाद दैनिकी में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–I, हिलसा